न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–शंकरलाल सालवी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –216/2018 वाद

दिनांक : 25–10–2019

उनवान

1. तेजपाल पिता लक्ष्मण जणवा वयस्क निवासी वडवल तहसील बडीसादडी
2. गोपाल पिता पन्नालाल जणवा वयस्क निवासी वडवल तहसील बडीसादडी
3. मांगीलाल पिता उंकार जणवा वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री हजारी पिता भगवान गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 188 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वाके मौजा बानसेन पटवार हल्का बानसेन में वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है जिसके खाता संख्या 61 की आराजी नम्बर 502 रकबा 0.59 हैक्टेयर लगानी 24.64 रूप्ये कृषि भूमि है साक्ष्य में नकल जामाबन्दी संवत् 2071 से 2073 व नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है ।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण इस पर 'शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है उपरोक्त आराजीयात के पास ही प्रतिवादी संख्या की आराजीयात स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का वादीगण की आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध रारोकार नहीं है फिर भी वो जबरन धीरे धीरे कर वादीगण की आराजीयात के रकबे को दबाता चला आ रहा है तथा वादीगण द्वारा विरोध करने पर मामने

1.

Scanned by CamScanner

को तेयार नहीं होता है तथा झगडा करने पर आमादा रहता है जिस पर वादीगण ने विधिवत तौर से आराजीयात की नपती कराने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.6.2018 को आदेश पारीत कर तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त कर पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण को सूचना नोटिस जारी किये एवं दिनांक 18.6.2018 को मौके पर उपस्थित होने का सूचना पत्र दिया जिस पर भू अ0 नि0 द्वारा व पटवारी द्वारा मौके पर जासकर दिनांक 18.6.2018 विधिवत तौर से आराजीयात की नपती पिन पोईन्ट से की गई तो पाया गया कि आराजी नम्बर 502 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 हजारी के कब्जे में उत्तरी सीमा से 18 मीटर एवं दक्षिणी सीमा 20 मीटर पर पाया गया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से खातेदारी की आराजीयात का कब्जा सिपुर्द करने एवं अवेध अतिचार हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा धमकियां देने लगा कि जमीन का कब्जा हम तुम्हें नहीं सौपेंगें तुम्हारें में दम हो वो कर लेना इस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर वादीगण को पाबन्द किया कि उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाहीं करें इसलिए यह वाद पत्र पेश किया है ।

3. यह कि वादीगण ने अपने स्तर पर प्रतिवादीगण को अवैध अतिचार हटवाने हेतु काफी प्रयास किया लेनि प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहें है तथा वादीगण को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात का समुचित तौर से सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करने नहीं दे रहें है इसलिए प्रतिवादीगण का जिस कदर व जैसा भी अवैध कब्जा है उसे जरिये अदालत हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो आराजीयात का कब्जा किसी अन्य को अन्तरित नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य भवि''य में नहीं करें जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो । .

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वादकारण अभी दिनांक 01.10.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध अतिचार हटा कर कब्जा वादीगण के सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं आराजी का अवैध अतिचार अन्य को अन्तरित करने की धमकियां दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध अतिचार हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे अवैध अतिचार का कब्जा अन्य को अन्तरित नहीं करें इस हेतु वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

1.

Scanned by CamScanner

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नही किये गये ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा बानसेन खाता संख्या प्रदर्श–1
2. नक्शा ट्रेस साबिक प्रदर्श–2
3. नकल पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 6.6.2018 प्रदर्श–3
4. शपथ पत्र वादी

बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रदर्श–1 अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है जिसकी पत्थरगढी पर्चा मौका प्रदर्श–3 अनुसार [illegible] वादीगण के नाम दर्ज मौजा बानसेन की आराजी नम्बर 502 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि की उत्तरी सीमा से 18 मीटर एवं दक्षिणी सीमा 20 मीटर पर पर प्रतिवादी संख्या 01 हजारी का अवैध अतिचार है जो ट्रेस पासर की श्रेणी में आते है जिसका अवैधानिक कब्जा हटवाया जाकर वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने से वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित मानता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा बानसेन की आराजी नम्बर 502 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि की उत्तरी सीमा से 18 मीटर एवं दक्षिणी सीमा 20 मीटर पर प्रतिवादी संख्या 01 हजारी गाडरी का अवैध अतिचार/अतिकमण हटवाया जाकर वादीगण को सुपुर्द कराये जाने का आदेश दिया जाता है । तथा प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें न करावें अपना अवैधानिक अतिचार हटा लेवें । तद्नुसार तहसीलदार भदेसर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास– श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

1. तेजपाल पिता लक्ष्मण जणवा वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
2. गोपाल पिता पन्नालाल जणवा वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
3. मांगीलाल पिता उंकार जणवा वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी

....................वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री हजारी पिता भगवान गाडरी वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

............प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 216/2018

वादी की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक [illegible] को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा बानसेन की आराजी नम्बर 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि की उत्तरी सीमा से 18 मीटर एवं दक्षिणी सीमा 20 मीटर पर प्रतिवादी संख्या 01 हजारी गाडरी का अवैध अतिचार/अतिक्रमण हटवाया जाकर वादीगण को सुपुर्द कराये जाने का आदेश दिया जाता है । तथा प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें न करावें अपना अवैधानिक अतिचार हटा लेवें । तद्नुसार तहसीलदार भदेसर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । यह आज दिनांक 25.10.2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

1.

Scanned by CamScanner